



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21—सितम्बर 27, 2013 (भाद्रपद 30, 1935)  
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21—SEPTEMBER 27, 2013 (BHADRA 30, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै, दिनांक 18 जुलाई 2013

सं. पीएडी/पीईएन/001/2013--बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी सहित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक मंडल ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधनार्थ निम्नवत और विनियमों को एतद्वारा जोड़ा है:--

1. (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 50 के उप-विनियम (1) में "दो वर्ष" शब्दों की जगह "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

3. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 50 के उप-विनियम (6) में "दो वर्ष" शब्दों की जगह "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

पाद टिप्पणी :--मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग-III, धारा 4 दिनांकित 29.09.1995 में प्रकाशित अधिसूचना सं. पीएडी/179/2097 के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात् निम्नवत अनुसार संशोधित किये गये थे :--

अधिसूचना सं.	तिथि
29 (भाग III-धारा 4)	15.07.2000
16 (भाग III-धारा 4)	20.04.2002
09 (भाग III-धारा 4)	01.03.2003
96 (भाग III-धारा 4)	24.05.2004
09 (भाग III-धारा 4)	05.03.2010

इंदिरा पद्मिनी  
महा प्रबंधक  
कार्मिक प्रशासन विभाग

दिनांक 6 अगस्त 2013

सं. आईआरडी/184/2013--14 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 व बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 19 के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का निदेशक मंडल इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में सेवाएं स्वीकार करना) विनियमन 2000 में संशोधन के उपरान्त निम्नलिखित विनियमन का सृजन करता है—यथा

1. (1) ये विनियमन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में सेवाएं स्वीकार करना) संशोधन विनियमन 2013 के रूप में जाने जाएंगे।

(2) ये विनियमन सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में सेवाएं स्वीकार करना) विनियमन 2000, उप विनियम (1) में “दो वर्ष” शब्द के स्थान “एक वर्ष” रखा जाएगा।

इंदिरा पद्मिनी

महा प्रबंधक

कार्मिक प्रशासन विभाग

टिप्पणी:—मूल विनियमन भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईआरडी/184/232 भाग-III धारा सं. 4 दिनांकित 24.02.2001 के तहत प्रकाशित किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2013

सं. 1-1/2012 (सीपीपी-II)--यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26 की धारा (एफ) एवं (जी) के उप अनुच्छेद (1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्वारा निम्न विनियमों का सृजन करता है, नामतः

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

(1) ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों में परस्पर अकादमिक सहभागिता के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम-2012 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम, निम्नवत लागू होंगे:

(क) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व, भारतीय शैक्षिक संस्थानों की सहभागिता में ऐसे समस्त सक्रिय विदेशी शैक्षिक संस्थान, तकनीकी संस्थानों को छोड़कर सम्मिलित होंगे, जो इस सहभागिता के माध्यम से डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करने के इच्छुक हैं; एवं

(ख) ऐसे समस्त भारतीय शैक्षिक संस्थान, तकनीकी संस्थानों को छोड़कर, जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व विदेशी शैक्षिक संस्थानों के साथ सहभागिता करने के इच्छुक हैं

तथा इस सहभागिता के माध्यम से डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करना चाहते हैं।

3. कोई भी भारतीय या विदेशी शैक्षिक संस्थान जिनके मध्य पहले से ही सहभागिता है, वे इन विनियमों के लागू होने के छः माह के भीतर इनका अनुपालन करेंगे।

4. सरकारी राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तिथि से ही इन विनियमों को लागू माना जाएगा।

2. परिभाषा:

(क) विदेशी शैक्षिक संस्थान के संदर्भ में प्रत्यायन अभिकरण (Accrediting Agency) से तात्पर्य है एक ऐसा अभिकरण या निकाय जो उसके मूल राष्ट्र के कानून या उस राष्ट्र में विद्यमान अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण के अंतर्गत अनुमोदित, मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकृत, स्थापित या निगमित किया गया हो जिसका लक्ष्य, शैक्षिक संस्थानों के मानकों का आकलन, प्रत्यायन या गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।

(ख) “अधिनियम” (Act) से तात्पर्य है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956

(ग) “उपयुक्त प्राधिकरण” (Appropriate Authority) से तात्पर्य है, भारतीय विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्राधिकरण जिसे इस अधिनियम के सापेक्ष प्रावधानों के अंतर्गत सृजित किया गया है तथा जिसके पास विदेशी शैक्षिक संस्थानों की सहभागिता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।

(घ) “सहभागिता” (Collaboration) से तात्पर्य है भारतीय शैक्षिक संस्थान एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य एक ऐसा समझौता जिसे सहभागिता या साझेदारी/संयुक्त व्यवस्था के तहत एक ऐसे लिखित दस्तावेज के आधार पर किया गया है, जिसका लक्ष्य डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करना है।

(ङ) “आयोग” (Commission) से तात्पर्य है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे अधिनियम के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया है;

(च) “डिग्री” (Degree) का अर्थ है एक ऐसी डिग्री जिसे अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है अथवा एक ऐसी डिग्री जिसे हमारे देश में किसी भी शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया हो;

(छ) “विदेशी शैक्षिक संस्थान” (Foreign Educational Institution) से तात्पर्य है:

(1) अपने देश में विधिवत स्थापित एवं निगमित एक ऐसा संस्थान जो विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों या संबद्ध विषयों में निजी देश में स्नातक एवं उच्च स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा हो; तथा

- (II) जो किसी भी भारतीय शैक्षिक संस्थान की सहभागिता, साझेदारी एवं संयुक्त व्यवस्था से संबद्ध हो तथा दूरस्थ शिक्षा माध्यम को छोड़कर परंपरागत माध्यम के अनुसार डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने हेतु एवं उस स्तर के अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा हो, एवं संचालन करने की पेशकश करता हो;
- (ज) “भारतीय शैक्षिक संस्थान” (Indian Educational Institution) से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान जो इसी नाम से या अन्य किसी नाम (सार्वजनिक एवं निजी) से जाना जाता हो तथा जिसका स्वरूप तकनीकी संस्थान से अलग हो तथा जिसे स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर एवं उच्च स्तरों तक शिक्षा प्रदान करने हेतु संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;
- (झ) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद् (NAAC) का तात्पर्य है एक ऐसी परिषद् जिसे अधिनियम के अनुच्छेद 12 की धारा (CCC) के अंतर्गत स्थापित किया गया है;
- (ञ) “अनुच्छेद” (Section) से तात्पर्य है इस अधिनियम का एक अनुच्छेद;
- (ट) “सांविधिक निकाय” (Statutory Body) से तात्पर्य है एक ऐसा निकाय जिसे एक केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं निगमित किया गया है, जो विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के मानकों का विनियमन, समन्वयन, निर्धारण एवं अनुरक्षण करता है या जिनमें ऐसे डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने वाले व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;
- (ठ) “स्नातकोत्तर डिप्लोमा” (Post Graduate Diploma) से तात्पर्य है एक ऐसा डिप्लोमा जिसे न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रम के अंतर्गत संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो तथा जिसमें दाखिला प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है;
- (ड.) “तकनीकी संस्थान” (Technical Institution) से तात्पर्य है एक ऐसा संस्थान जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) 1987 के अनुच्छेद 2 की धारा (एच) के अंतर्गत तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों को छोड़कर परिभाषित किया गया है।
- (ढ) “संयुक्त पाठ्यक्रम” (Twinning Programme) से तात्पर्य ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम से हैं जिसमें छात्र, भारतीय शैक्षिक संस्थान में नामांकन कराकर आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से अपने देश के विदेशी शैक्षिक संस्थान में, जिसमें यह प्राथमिक रूप से स्थापित या निगमित हो, अपना अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।
3. सहभागिता के पात्रता मानदण्ड एवं शर्तें :
- (I) भारतीय शैक्षिक संस्थान के सहभागी विदेशी शैक्षिक संस्थान को निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड एवं शर्तें पूरी करनी होंगी:-
- (क) विदेशी संस्थान, जिन्हें उच्चतम ग्रेड में अपने ही देश के संस्थानों में प्रत्यायित किया गया हो, उन्हें ऐसे भारतीय संस्थानों के साथ संयुक्त प्रबंधन की अनुमति प्रदान की जाए, जिन्हें मान्यताप्राप्त प्रत्यायन अधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यायित किया गया हो, कम से कम ‘बी’ ग्रेड या इसके समकक्ष ग्रेड पर संस्थागत प्रत्यायन हेतु रखा गया हो या जो पाठ्यक्रम प्रत्यायन के संबंध में आधारगत स्तर पर प्रत्यायित हों या जैसी भी स्थिति हो।
- (ख) भारत में सहभागिता के माध्यम से भारतीय शैक्षिक संस्थानों के द्वारा इनकी संचालन व्यवस्था की जाएगी।
- (ग) ऐसे विदेशी शैक्षिक संस्थान, जो सहभागिता, साझेदारी या संयुक्त रूप से पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत में उनके द्वारा प्रदान किये जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम उन मानकों के अनुरूप हैं जिन्हें संबद्ध सांविधिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (घ) विदेशी शैक्षिक संस्थान, किसी भी ऐसी अन्य शर्तों से आबद्ध होंगे जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार एवं सांविधिक नियामक निकायों द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (2) कोई भी भारतीय शैक्षिक संस्थान, जो विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ भागीदारी कर रहा है, वह निम्न मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा करेगा:-
- (क) सहभागिता के लिए किये गए समझौते के समय भारतीय शैक्षिक संस्थान, नैक द्वारा प्रत्यायित हो तथा उसके पास कम से कम बी या इसका समकक्ष ग्रेड होना चाहिए।
- बशर्ते, भारतीय शैक्षिक संस्थान जिन्हें केन्द्र सरकार या आयोग या राज्य सरकारों या संघशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अनुरक्षित किया गया हो; इन विनियमों के अनुसार उन्हें प्रत्यायन से छूट प्राप्त होगी।
- (ख) डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर भारतवर्ष में, शैक्षिक पाठ्यक्रमों के संचालन का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
- बशर्ते, ऐसा भारतीय शैक्षिक संस्थान, जो केन्द्र सरकार या आयोग एवं/या राज्य सरकारों एवं/या संघशासित प्रदेशों द्वारा अनुरक्षित हो, उसे 5 वर्षों के अनुभव की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी।
- (ग) इसकी अकादमिक अवसंरचना, जिसमें प्रयोगशाला एवं कार्यशाला एवं पुस्तकालयी सुविधाएँ सम्मिलित हैं, उसके द्वारा सापेक्ष सांविधिक निकाय की अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा।
- (घ) यदि किसी स्थिति में ऐसा भारतीय शैक्षिक संस्थान, एक ऐसे विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता कर रहा हो एवं डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने हेतु अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन करता हो, वह संबंधक संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (ड) सहभागिता से संबंधित सभी विधिक मामलों समेत छात्रों की शिकायतों से संबंधित मामले, अकादमिक सहभागिता के इच्छुक भारतीय शैक्षिक संस्थानों को प्रेषित किये जाएंगे।

(3) सभी संस्थान (भारतीय या विदेशी) जो सहभागिता, संयुक्त व्यवस्था या अन्य साझेदारी व्यवस्था से संबद्ध हैं, वे निम्नलिखित मानदण्ड एवं शर्तों से आबद्ध होंगे :—

- (क) अकादमिक अपेक्षाएँ एवं अध्ययन पाठ्यक्रमों के अन्य विवरणों को, संबद्ध भारतीय शैक्षिक संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम के आरंभ होने से पूर्व सार्वजनिक करने हेतु संबंधित वेबसाइट पर विशेष रूप से दर्शाया जाएगा।
- (ख) ऐसे किसी भी अध्ययन एवं शोध पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जाएगा जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं गरिमा के विरुद्ध हो।
- (ग) संबद्ध शैक्षिक संस्थान, उन सभी शर्तों से आबद्ध होगा जो शर्तें भारत सरकार या सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- (घ) जहाँ कहीं भी विदेशी मुद्रा से जुड़ा मामला है वह शैक्षिक संस्थान, (भारतीय एवं/या विदेशी) ऐसे सभी सापेक्ष विनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किया गया है।

#### 4. सहभागिता पद्धति

ऐसा कोई भी विदेशी संस्थान, जो किसी भारतीय शैक्षिक संस्थान से सहभागिता कर रहा है, उसे संबद्ध भारतीय शैक्षिक संस्थान के साथ लिखित समझौता करना होगा।

बशर्ते, कोई भी विदेशी शैक्षिक संस्थान, जो भारतीय शैक्षिक संस्थान से सहभागिता कर रहा है, वह उसकी स्थिति में तब तक समझौता ज्ञापन या समझौता नहीं कर सकेगा जब तक कि संबद्ध भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा आयोग की पूर्वानुमति के साथ ही उस समझौता ज्ञापन या समझौते की अनुमति भी न प्राप्त कर ली गई हो।

बशर्ते, ऐसा समझौता ज्ञापन या समझौता जिसे आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जैसी भी स्थिति हो, उसे दोनों सहभागियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा उस समझौता ज्ञापन या समझौता की एक प्रति आयोग को प्रेषित की जाएगी तथा उसे यूजीसी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

#### 5. अनुमोदन पद्धति:

अनुमोदन हेतु निम्न पद्धति का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए, नामतः

- (क) संबद्ध विदेशी शैक्षिक संस्थान, आयोग को एक विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक आवेदन सहित एक समझौता ज्ञापन/समझौता का प्रारूप प्रस्तुत करेगा जिसमें अवसंरचना सुविधाएँ, शिक्षा का माध्यम, संकाय, निर्दिष्ट शुल्क, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या संचालन हेतु तीन वर्ष के लिए आवश्यक निधि एवं सहभागिता की अन्य कोई शर्तें एवं निबंधन हों;
- (ख) समझौता ज्ञापन या समझौता मसौदे सहित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् आयोग इस पावती की सूचना 1 सप्ताह के भीतर प्रेषित करेगा। इस प्रस्ताव की जाँच प्रक्रिया, आंतरिक रूप से प्रारंभ की जाएगी तथा अतिरिक्त दस्तावेज, यदि आवश्यक हों,

उन्हें एक माह की अवधि के भीतर जमा कराने के लिए कहा जाएगा।

- (ग) आयोग के इस बात से संतुष्ट हो जाने पर, कि प्रस्ताव हर प्रकार से पूर्ण है आयोग, निम्न घटकों पर विचार करने के पश्चात् एक अनुमोदन पत्र जारी करने का निर्णय लेगा: जिन घटकों में शिक्षा की गुणवत्ता, प्रस्ताव की विशेष उपयुक्तता, वसूली योग्य शुल्क, विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ-साथ भारतीय शैक्षिक संस्थान की छः माह के भीतर सत्यनिष्ठा का प्रमाण। यदि किसी स्थिति में आयोग, प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं करता है तो उस स्थिति में आयोग, कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्दिष्ट समय में इसके अस्वीकरण का एक पत्र जारी करेगा।
- (घ) इस प्रकार दिया गया अनुमोदन पाँच वर्ष या अन्यथा निर्दिष्ट अवधि हेतु वैध रहेगा, जिसके दौरान आयोग, की गई प्रगति की समीक्षा कर सकेगा तथा उस समीक्षा के निष्कर्ष के बारे में संबद्ध अभिकरणों को आवधिक रूप से सूचित करेगा तथा वह उस अनुमोदन का विस्तार या आहरण कर सकता है या विस्तारण हेतु ऐसी अन्य शर्तों को लागू कर सकता है जिसे भी वह उपयुक्त या उचित समझे:
- (ङ) किसी भी प्रकार के कदाचार की स्थिति में प्रदत्त अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा; बशर्ते रद्द करने से पूर्व संबद्ध शैक्षिक संस्थान को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाए।

#### 6. विविध शर्तें :

अनुपालित की जाने वाली अन्य शर्तें निम्नवत हैं:

- (क) किसी भी विदेशी शैक्षिक संस्थान एवं भारतीय शैक्षिक संस्थान के मध्य की गयी एक व्यवस्था चाहे वह किसी भी नाम से हो, उसे निम्न विनियमों के अंतर्गत उसकी फ्रेंचाइज व्यवस्था की अनुमति नहीं होगी:
- (ख) उन विनियमों के अंतर्गत ऐसी किसी भी व्यवस्था की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिसके अंतर्गत कोई भी विदेशी शैक्षिक संस्थान किसी भी धनराशि के एवज में उस संस्थान के नाम पर एक भारतीय शैक्षिक संस्थान को शैक्षिक गतिविधियों का लाइसेंस या अनुमति प्रदान करेगा।
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुमोदित सहभागी संस्थानों की एक अद्यतन सूची अपनी वेबसाइट पर अनुरक्षित करेगा।
- (घ) इन विनियमों के लागू होने पर कोई भी विदेशी शैक्षिक संस्थान या भारतीय शैक्षिक संस्थान आयोग की विशेष अनुमति के बिना न तो भारत में अपनी शैक्षिक गतिविधियों को सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित करेगा और न ही डिग्रियाँ या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने हेतु स्थापित कर सकेगा।

#### 7. उल्लंघन के परिणाम :

- (क) किसी भी प्रकार की शिकायत के आधार पर आयोग, अपनी ओर से एक जाँच करा सकता है जिसमें उन संयुक्त व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा तथा इस बात के प्रति संतुष्ट होने

के पश्चात् कि सहभागी संस्थान इन विनियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, आयोग, उस समझौता ज्ञापन एवं सहभागिता संबंधी उस समझौते को निरस्त करने के नवीन आदेश प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन छात्रों को ऐसे पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में नामांकित किया गया था उन्हें अपना अध्ययन जारी रखने की अनुमति उस समय तक दी जाए जब तक वह वांछित योग्यता प्राप्त न कर लें; बशर्ते, ऐसे शैक्षिक संस्थान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले इस समझौता ज्ञापन या समझौता निरस्त करने के आदेश जारी करने से पूर्व अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उसे एक अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह संस्थान, इन विनियमों के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहा है।

- (ख) यदि संबद्ध संस्थान ने इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो आयोग, अधिनियम के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगा तथा अपनी वेबसाइट एवं जनसंचार के जरिये अधिसूचित करेगा कि प्रस्तावित कथित सहभागितापूर्ण व्यवस्थाओं, पाठ्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण एवं संचालन इन विनियमों के अनुसार नहीं है।
- (ग) यदि किसी स्थिति में, आयोग पाता है कि किसी मानित विश्वविद्यालय ने इन विनियमों के प्रावधानों का किसी भी प्रकार उल्लंघन किया है तो आयोग, उपरोक्त धाराओं (ए) एवं (बी) में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार को संबद्ध

मानित विश्वविद्यालय के स्तर का आहरण करने की अनुशंसा भी कर सकता है।

- (घ) आयोग, यदि उचित समझे, भारतीय शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध अग्रवर्ती कार्रवाई भी कर सकता है।
- (ङ) आयोग, ऐसे विदेशी शैक्षिक संस्थानों को भी निरस्त घोषित कर सकता है तथा उनके किसी भी भारतीय शैक्षिक संस्थान की सहभागिता को प्रतिबंधित कर सकता है।

#### 8. व्याख्या :

- (क) इन विनियमों की विशद व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा ही लिया जाएगा तथा इस मामले में वह निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (ख) इन विनियमों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई संदेह, कठिनाई या विसंगति होती है, तो उस बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का आयोग को ही अधिकार होगा।
- (ग) भारतीय शैक्षिक संस्थानों एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों की सहभागी व्यवस्था के बारे में यदि कोई विवाद उठता है तो उसे भारतीय कानून के अंतर्गत लाया जाएगा।

अखिलेश गुप्ता  
सचिव